संख्या: 1946/X

प्रेषक,

जी०पी०तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
सामुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांक: 31 दिसम्बर 2010

विषय:– सिटी पब्लिक स्कूल, जी०आई०सी० रोड, पिथौरागढ़ को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिटी पब्लिक स्कूल, जी०आई०सी० रोड, पिथौरागढ़ को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की रजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

क्रमशः....2

Principal
City Public School
G.I.C. Road Mahadev Dhara Pithoragarh

Manager
City Public School
Pithoragarh

Manager
City Public School
Pithoragarh

Principal
City Public School

Manager
City Public School
Pithoragarh

Principal
City Public School
G.I.C. Road Mahadev Dhara Pithoragarh

छाया प्रति सत्यापित
अधिशासी अभि...
विद्युत वितरण ...
पिथौरागढ़

(ञ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2 उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3. उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक/या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(जी०पी०तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या [illegible] (1)/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
5. प्रबन्धक, सिटी पब्लिक स्कूल, [illegible] रोड, पिथौरागढ़।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०पी०तिवारी)
अनु सचिव।

Manager
City Public School
Pithoragarh

Principal
City Public School
G.I.C. Road Mahadev Dhara Pithoragarh

Manager
City Public School
Pithoragarh

Principal
City Public School
G.I.C. Road Mahadev Dhara Pithoragarh

Manager
City Public School
Pithoragarh

छाया प्रति सत्यापित
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

Principal
City Public School